(वाद संख्या–4545/2017)

19.01.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, पुनीत दास सहित अनुसूचित जाति के लोगों को बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमीन से उसके विरोधियों द्वारा जातिसूचक गाली–गलौज कर व अपराधिक बल का प्रयोग कर उक्त जमीन में लगे फसल को लूट लेने से संबंधित घटना पर संबंधित प्राधिकार द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकरी, खगड़िया से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निन अंचलाधिकारी, गोगरी, अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी व स्वयं परिवादी, पुनीत दास, के प्रतिवेदनानुसार प्रसंगाधीन मामले में अद्यतन स्थिति की जांच हेतु अंचल अमीन की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवाद में वर्णित भूमि पर वर्त्तमान में बाढ़ एवं वर्षा का पानी भरा हुआ है जिस कारण नापी का कार्य नहीं हो सकता है। परिवादी, पुनीत दास, द्वारा भी आवेदन समर्पित कर इस बात का समर्थन किया गया है तथा अनुरोध किया गया है कि पानी सूख जाने के बाद जमीन की पैमाइश कराई जाए। जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा राज्य आयोग को यह आश्वासन दिया गया था कि परिवाद पत्र में वर्णित भूमि की नापी कर ली जायेगी।

अब, जबकि संबंधित प्राधिकार द्वारा परिवाद पत्र में वर्णित भूमि की नापी का आश्वासन दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई का अब कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक